भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/257

विवि.सीआरई.आरईसी.176/07-03-004/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड 5

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 7

अनुबंध - I 8

परिचय

एक एकल उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता के प्रति बैंक के एक्सपोजर का संकेन्द्रण काफ़ी जोखिम पैदा करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, अक्टूबर 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा शुरू की थी। इन सीमाओं ने व्यक्तिगत उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं के लिए बैंकों के एक्सपोजर को पूंजीगत निधि के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित कर दिया, जिससे उनके तुलन पत्र के आस्ति पक्ष पर संकेन्द्रण जोखिम को कम करने की नींव रखी गई। इन विवेकपूर्ण मानदंडों को मार्च 2000 और जून 2001 में फिर से संशोधित किया गया था और संदर्भ पैरामीटर को स्वामित्व निधियों में बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अक्तूबर, 1999 में लघु उद्योगों को ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई थी, जिसके अंतर्गत *अन्य बातों के साथ-साथ* बैंकों को अपनी स्वयं की क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमा निर्धारित करनी थी।

किसी प्रतिपक्ष या संबंधित समकक्षों के समूह या विशिष्ट क्षेत्रों के लिए संकेंद्रण जोखिम के क्षेत्र में मजबूत जोखिम प्रबंधन की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

क. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'आरआरबी' के रूप में संदर्भित और व्यक्तिगत रूप से 'आरआरबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

ग. परिभाषाएं

4. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निदेशों में दिए गए पदों के अर्थ वही होंगे, जो नीचे दिए गए हैं

(1) "**स्वामित्व निधि"** में चुकता पूंजी, सांविधिक रिजर्व, अन्य निर्बाध आरक्षित निधियां जो बाहरी देनदारियों की प्रकृति में नहीं हैं, तथा लाभ और हानि खाते में शेष क्रेडिट शामिल होंगे। इसमें केवल अग्रिम/निवेश के लिए एक्सपोजर सीमा की गणना के उद्देश्य से नोशनल आधार पर स्वामित्व निधियों की गणना के लिए केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंकों (यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के योगदान की प्रतीक्षा हो रही है) से प्राप्त शेयर पूंजी जमा/अतिरिक्त शेयर पूंजी (पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत चयनित आरआरबी को प्रदान की गई) अंशदान भी शामिल होंगे।

इसमें शामिल नहीं होगा:

- संचित हानि और प्रावधानों में कमी।
- किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक कमी या पहचान योग्य संभावित हानि, के कारण सभी प्रावधान और जो अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, खराब और संदिग्ध ऋण/एनपीए के लिए प्रावधान, निवेश मूल्यह्रास कोष, और खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व, विशेष अशोध्य और संदिग्ध ऋण रिजर्व, अतिदेय ब्याज रिजर्व आदि जैसे किसी भी रिजर्व के लिए प्रावधान स्वामित्व निधि का हिस्सा नहीं होंगे।
- स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से सृजित रिजर्व, यदि कोई हो, आदि।

(2) "**एक्सपोजर"** में क्रेडिट (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित क्रेडिट सीमा और हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताएं) और निवेश एक्सपोजर दोनों शामिल होंगे। ऋण जोखिम के लिए, स्वीकृत सीमा या बकाया जो भी अधिक हो, को एक्सपोजर सीमा तक पहुंचने के लिए गिना जाएगा। इसके अलावा, पूरी तरह से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से को फिर से आहरण करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आरआरबी क्रेडिट एक्सपोजर सीमा तक पहुंचने के लिए बकाया राशि की गणना कर सकते हैं। गैर-निधि-आधारित एक्सपोजर को भी गैर-निधि आधारित क्रेडिट सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, का 100 प्रतिशत पर गिना जाना चाहिए।

(3) **"समूह उधारकर्ता":** चूंकि समूह उधारकर्ताओं को काफी अधिक ऋण सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि आरआरबी उन्हें वित्तपोषित न करें। हालांकि, जहां इस तरह के वित्त को सीधे समूह उधारकर्ताओं को दिया जाता है, एक आरआरबी अपने पास उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी के आधार पर समूह उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए एक ढांचा स्थापित करेगा। इस संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रबंधन की समानता और प्रभावी नियंत्रण है।

(4) **"प्रायोजक बैंक"** का अर्थ है एक बैंक जिसके द्वारा इस तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया गया है।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत सौंपा गया है, या कोई सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - एक्सपोजर मानदंड

क. बोर्ड की भूमिका

6. आरआरबी लिखित ऋण नीतियों का एक सेट विकसित करेगा। ऐसी नीतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्पष्ट रूप से एकल प्रतिपक्ष और समूह एक्सपोज़र सीमाएं, प्रलेखन के लिए मानक, क्षेत्रीय एक्सपोज़र सीमाएं और शक्तियों के प्रत्यायोजन को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बोर्ड ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण की स्थिति की समीक्षा करेगा। इस पहलू को आगामी पैराग्राफ में विस्तार से बताया गया है।

ख. एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा

7. आरआरबी का किसी एक और समूह उधारकर्ता/पक्ष (अर्थात, एकल एक्सपोज़र और समूह एक्सपोज़र) के प्रति एक्सपोज़र उसके स्वामित्व निधि के क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

8. आरआरबी अपने ऋण पोर्टफोलियो के उपयुक्त विविधीकरण को सुनिश्चित करते हुए बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना ऋण कार्यक्रम तैयार करेगा, ताकि उधारकर्ताओं के एकल/समूह या एक तरह की गतिविधि आदि में जोखिम के संकेंद्रण को कम किया जा सके। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरआरबी के बोर्ड भी स्थिति की उपयुक्त समीक्षा करेंगे।

9. अपने प्रायोजक बैंक या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी टियर-II बॉन्ड में आरआरबी का निवेश उसके स्वामित्व निधि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

10. कॉरपोरेट्स के शेयरों और डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड की इकाइयों में आरआरबी का निवेश पिछले वित्त वर्ष के अंत में वृद्धिशील जमा के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिसमें द्वितीयक बाजार से शेयर/डिबेंचर खरीदना शामिल है। हालांकि, निम्नलिखित बॉन्ड में निवेश के मामले में 5 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जो पूरी तरह से केंद्र/राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं या जिनमें केंद्र/राज्य सरकारों की 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी होल्डिंग है)।

(2) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (सूची अनुबंध - I में दी गई है)।

11. किसी कंपनी में निवेश करते समय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

12. आरआरबी अपने गैर-एसएलआर अधिशेष निधि को प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए गए जोखिम-साझाकरण भागीदारी प्रमाणपत्रों (पीसी) में निवेश कर सकता है, जो एक्सपोजर सीमा के अधीन सहमत शर्तों

पर है। इसके अलावा, पीसी इस उद्देश्य के लिए निर्धारित एक वर्ष के दौरान नए ऋण की 15 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होंगे।

13. आरआरबी उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी मौजूदा क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमा की समीक्षा करेगा और उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं निर्धारित करेगा, जिन्हें विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में बोर्डों द्वारा आवश्यक माना जा सकता है। विशेष रूप से, सभी गैर जमानती उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इस प्रकार निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निरंतर आधार पर निगरानी की जाएगी।

14. आरआरबी द्वारा चल आस्तियों की जमानत पर दिए गए सभी टॉप-अप ऋण, जो स्वाभाविक रूप से मूल्यह्रास प्रकृति के हैं, जैसे वाहन, को ऋण मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमा और एक्सपोजर उद्देश्यों के लिए गैर जमानती ऋण के रूप में माना जाएगा।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और व्यावृत्ति

15. इन निदेशों के जारी होने के साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

16. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन अनुदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

ख. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

17. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

ग. व्याख्याएं

18. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध - I

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची जिन्हें आरआरबी द्वारा इक्विटी/बॉन्ड में निवेश के लिए निर्धारित पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त है

1. आईएफसीआई लिमिटेड
2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक)
3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
5. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
6. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई)
7. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
8. भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी)
9. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई वेंचर)
10. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीडीआईसीआई)
11. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (टीएफसीआई)
12. डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफएचआई)
13. एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड